


कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक P-50 / 2020

पन्ना, दिनांक 02.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक क्यू/5, दिनांक 25 मार्च, 2020 के अनुसार कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक जिलों में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक की अवधि के लिये "No Court work" के निर्देश दिये गये थे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिनांक 14.04.2020 को लॉकडाउन अवधि को बढ़ाये जाने की उद्घोषणा को दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू-6, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्र क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 03.05.2020 तक विस्तारित किया गया था। पुनः केन्द्र सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि को दिनांक 17.05.2020 तक तीसरे चरण में विस्तारित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में पन्ना जिले के समस्त न्यायालयों में उक्त अवधि के मध्य नियत प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार आगामी तिथियाँ नियत की जाती हैं :-

क्रमांक	वर्तमान नियत तिथि	आगामी तिथि
01-	04-05-2020	04-06-2020
02-	05-05-2020	05-06-2020
03-	06-05-2020	06-06-2020
04-	08-05-2020	08-06-2020
05-	09-05-2020	09-06-2020
06-	11-05-2020	10-06-2020
07-	12-05-2020	11-06-2020
08-	13-05-2020	12-06-2020
09-	14-05-2020	13-06-2020
10-	15-05-2020	15-06-2020



 (प्रेम नारायण सिंह)
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक— P-10 /2020

पन्ना, दिनांक 02 मई, 2020

प्रतिलिपि:—

01. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई,
02. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पवई,
03. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकी/लेखा/ग्रंथालय/कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़,
04. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पवई/अजयगढ़
05. समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण पन्ना,
06. जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
08. प्रस्तुतकार, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना,
09. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, पन्ना, की ओर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. जिला जन संपर्क अधिकारी पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना स्थानीय समाचार—पत्र एवं स्थानीय टी0व्ही0 चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13. सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम असिस्टेंट पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना सभी न्यायाधीशगण/समस्त कर्मचारीगण की ई—मेल आई0डी0/व्हॉट्स एप नंबर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
14. जेल अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. जेल अधीक्षक सतना एवं छतरपुर को जेल अधीक्षक पन्ना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. जिला नाजिर पन्ना/नायब नाजिर पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं न्यायालयीन प्रवेश द्वार पर आदेश की प्रति लगाने तथा के निर्देश के साथ पालनार्थ प्रेषित।


 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 पन्ना (म0प्र0)